E content – History, B.A. Hons. Paper VI – 3rd yr. – From Prof. Poonam Choudhury
Chief Coordinator History, N.O.U.

'Indian National Movement'

Q) Write an Essay on 'Non Cooperation Movement'

'असहयोग आंदोलन' पर एक लेख लिखें।

Ans. प्रथम विश्वयुद्ध में भारतीय जनता ने ब्रिटिश सरकार की बड़ी सहायता की थी। भारतीय युवक सेना में भरती होकर युद्ध के विभिन्न क्षेत्रों में गए और अँगरेज सैनिकों के साथ मिलकर उन्होंने अदम्य उत्साह और साहस के साथ शत्रुओं का सामना किया। लेकिन, युद्धोत्तर काल में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं और कई ऐसी घटनाएँ घटीं जिनके कारण भारतीयों को अँगरेजों की न्याय-प्रियता में विश्वास नहीं रहा और भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को असहयोग आंदोलन चलाना पड़ा। उन परिस्थितियों अथवा घटनाओं में कुछ प्रमुख थीं – असहयोग आंदोलन के कारण –

(क) प्रथम विश्वयुद्ध का परिणाम – राष्ट्रीयता के विकास में युद्ध एक महत्वपूर्ण सहायक तत्व है। प्रथम विश्वयुद्ध के कारण अनेक देशों में राष्ट्रीयता का तीव्र गति से विकास हुआ। इस युद्ध में 'आत्मनिर्णय के सिद्धांत (Principle of Self-determination) का प्रतिपादन हुआ। इसी सिद्धांत के प्रभाव से चीन और मध्यपूर्वी राज्यों में राष्ट्रीयता की लहर आई। भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति विलसन और ब्रिटेन के प्रधान-मंत्री लॉयड जॉर्ज की घोषणाओं के आधार पर काँग्रेस आत्मनिर्णय के अधिकार की माँग करने लगी। युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल गया और काँग्रेस की नीति और कार्यक्रम में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ।

(ख) आर्थिक असंतोष – प्रथम विश्वयुद्ध का आर्थिक परिणाम भी बड़ा बुरा हुआ। सभी आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया। इस अभाव के कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया था। चोरबाजारी बढ़ गई थी।

Scanned with CamScanner

विभिन्न उपायों द्वारा सरकार ने जनता से युद्ध के लिए धन एकत्र किया था। करों में भी वृद्धि कर दी गई थी। इन कारणों से जनता को भयंकर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद देश में प्लेग, इन्फलुएन्जा आदि महामारियों का प्रकोप हुआ। इसी समय देश को भयंकर अकाल का भी सामना करना पड़ा। फलतः, जनता की आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय हो गई। इस आर्थिक असंतोष के कारण कई स्थानों पर बलवे हुए, हड़तालें हुई और भूखी जनता ने लूटपाट भी की। इससे क्रांतिकारी आंदोलन पुनः सक्रिय हो उठा।

(ग) सेना में भरती और छँटनी — युद्ध काल में सेना में भरती के लिए सरकार ने दुराग्रहपूर्ण साधनों का प्रयोग किया था और बड़ी संख्या में भारतीयों की नागरिक तथा सैनिक सेवाओं में भरती की थी। इससे जनता में बड़ा असंतोष फैला हुआ था। युद्ध की समाप्ति के बाद सैनिकों की छँटनी शुरू हुई। बहुत से व्यक्ति अपने पद से अलग कर दिए गए, जिससे बेकारी की समस्या भी उत्पन्न हुई। लोगों में असंतोष बढ़ने लगा और लोग यह समझने लगे कि सरकार स्वार्थी है, जो अपना काम निकल जाने पर सामान्य जनता की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देती।

(घ) मांट - फोर्ड सुधार से असंतोष — 1919 ई० में मांटेग्यू - चेम्सफोर्ड सुधार योजना प्रकाशित हुई जिससे भारतीयों की आशा पर पानी फिर गया। इस योजना में भारतीय प्रशासन के वास्तविक रूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव नहीं था। केंद्र में सरकार अनुत्तरदायी थी और प्रांतों में भी उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं थी। इस योजना में स्थानीय स्वशासन के संबंध में कुछ आशाजनक सुझाव अवश्य थे, परंतु भारत सरकार के गृह विभाग का इसपर पूर्ण नियंत्रण स्पष्ट था। अतः 1919 ई० की सुधार योजना से शिक्षित भारतीय समाज बहुत ही क्षुब्ध था। इस प्रकार, मांट - फोर्ड सुधार-योजना ने भारतीय राष्ट्रीय आकांक्षाओं पर तुषारपात किया, जिससे उग्रवादी विक्षुब्ध हो

उठे। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के 1919 ई० के वार्षिक अधिवेशन में इस सुधार को 'अपूर्ण' असंतोषजनक और निराशापूर्ण कहकर इसकी भर्त्सना की गई।

(ङ.) रॉलट ऐक्ट तथा जलियाँवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया - 1919 ई० के मार्च में सरकार ने रॉलट ऐक्ट पास किया, जिसे 'काला कानून' कहा जाता है। इस दमनकारी कानून के विरूद्ध देशव्यापी विरोध और प्रदर्शन हुआ और 1919 ई० के 6 अप्रैल को शोक दिवस मनाया गया। जलियाँवाला बाग हत्याकांड से सारे देश में उत्तेजना फैली।

असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम —

असहयोग आंदोलन के तीन आधारभूत सूत्र थे— कौंसिलों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार और विद्यालयों का बहिष्कार। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे —

क) सरकारी उपाधियों का त्याग और अवैतनिक पदों का बहिष्कार

ख) स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्यों द्वारा अपने पदों का त्याग

ग) सरकारी मीटिंगों तथा उत्सवों का बहिष्कार

घ) सरकार द्वारा आयोजित या सरकारी अफसरों के सम्मान में आयोजित उत्सवों का बहिष्कार

ङ.) वकीलों और बैरिस्टरों द्वारा अदालतों का बहिष्कार

च) भारतीय मजदूरों और सैनिकों द्वारा इराक तथा अन्य स्थानों पर काम करने की अस्वीकृति

छ) सुधार के पश्चात सीमित व्यवस्थापिका-सभाओं का बहिष्कार

ज) विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार

यह असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का निषेधात्मक पक्ष था। लेकिन, कार्यक्रम का रचनात्मक पक्ष भी था, जिसमें यथानिर्दिष्ट कार्यक्रम सम्मिलित थे —

क) स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और प्रचार

ख) राष्ट्रीय स्कूलों और कालेजों की स्थापना और उनमें शिक्षा - प्राप्ति

Scanned with CamScanner

ग) पंचायतों की स्थापना और पारस्परिक मुकदमों को सरकारी अदालतों में न ले जाकर पंचायतों में ले जाना

घ) हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा अस्पृश्यता-निवारण का प्रचार

असहयोग आंदोलन का आरंभ और प्रगति

· खिलाफत कमिटी ने 31 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया। सितम्बर 1920 को कांग्रेस ने भी खिलाफत कमिटी के साथ मिलकर इलाहाबाद की बैठक में असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया। एनी बेसेंट ने इस आंदोलन का विरोध किया, फिर भी 1920 ई० के दिसंबर में अखिल भारतीय कांग्रेस के नागपुर सम्मेलन में इसे स्वीकृति दी गई।

महात्मा गाँधी ने जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यह आंदोलन अत्यंत ही संगठित रूप से शुरू हुआ। यह पूर्णतः सत्य और अहिंसा पर आधृत था। सर्वप्रथम महात्मा गाँधी ने अपनी सरकारी उपाधि 'कैसर हिन्द' वायसराय को लौटा दी। उन्होंने सारे देश का दौरा किया और जनता के बीच असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का प्रचार किया। आंदोलन आरंभ होते ही बहुत-से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों को त्याग दिया और वे राष्ट्रीय संस्थानों में भरती हुए, सैकड़ों व्यक्तियों ने सरकार से मिली उपाधियों को लौटा दीं और हजारों की संख्या में वकीलों तथा बैरिस्टरों ने वकालत छोड़ दी। इनमें प्रमुख थे — चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, आसफ अली, सरदार वल्लभभाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, टी० प्रकाशम। इस आंदोलन में मुस्लिम नेताओं ने भी सक्रिय भाग लिया। प्रमुख मुस्लिम नेता थे — अली बंधु (मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली), डॉ० अंसारी, सैफुद्दीन किचलू, मौलाना अबुलकलाम आजाद। लेकिन, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इस आंदोलन को नापसंद किया — ये थे मुहम्मद अली जिन्ना, जी० एस० खापर्डे, विपिन चन्द्र पाल एवं एनी बेसेंट। इन लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी और अलग हो गए। अनेक राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई; इनमें मुख्य थीं — इलाहाबाद का राष्ट्रीय

Scanned with CamScanner

महाविद्यालय, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाविद्यापीठ, देवघर का हिंदी विद्यापीठ, बंगाल का राष्ट्रीय महाविद्यालय, दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया आदि। इन राष्ट्रीय विद्यालयों के शिक्षकों में आचार्य नरेन्द्र देव, डा० जाकिर हुसैन और लाला लाजपत राय आदि थे। देशभर में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शुरू हुआ और हजारों की संख्या में लोग स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने लगे। गाँवों में लोगों ने चरखा चलाना शुरू किया। शराब की दुकानों पर पिकेटिंग शुरू हुई। मादक पदार्थों के विरुद्ध आंदोलन होने से सरकार को भारी आर्थिक क्षति उठाना पड़ा। कांग्रेस ने नवसुधार योजना के अनुसार बनने-वाली व्यवस्थापिका सभाओं का भी बहिष्कार किया। 1921 ई० में प्रिंस ऑव वेल्स भारत पधारे। जिस दिन वे बम्बई के बंदरगाह पर उतरे, विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन पर गोली चलाई गई जिससे 530 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 400 व्यक्ति घायल हुए। कांग्रेस ने प्रिंस के आगमन का बहिष्कार किया। युवराज जहाँ जहाँ गए, जीवनहीन नगरों ने उनका स्वागत किया और अनेक विदेशियों को उस दिन विवश होकर व्रत रखना पड़ा क्योंकि होटलों के नौकर भी हड़ताल पर थे। इसी वर्ष कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। वहाँ सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन को जारी रखा जाए। आंदोलन के फल स्वरूप आसाम के चाय बागान के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को टैक्स देना बंद कर दिया। केरल में मोपलों ने भी जमींदारों को कर देना बंद कर दिया।

सरकार की ओर से दमन — असहयोग आंदोलन की प्रगति देखकर सरकार घबड़ा गई और आंदोलन रोकने के लिए उसने दमनचक्र चलाया। हजारों की संख्या में लोग राजनीतिक

Scanned with CamScanner

बंदी बना लिए गए और मान्य नेताओं को बंदीगृह में डाल दिया गया। राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम (Seditious Meeting Act) को कठोरता से लागू किया गया और आंदोलन में संपर्क रखनेवाले लोगों को जेल में डाल दिया गया। देश में राजनीतिक बंदियों की संख्या लगभग पचास हजार हो गई। समस्त सार्वजनिक सभाओं पर सख्त पाबंदी लगा दी गई और राष्ट्रीय संस्थाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया।

चौरी-चौरा कांड और असहयोग आंदोलन का स्थगन — 6 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने वायसराय को यह सूचित किया, "अगर सरकार ने सभी अहिंसक असहयोगियों को जेल से मुक्त नहीं किया और समस्त अहिंसक कार्य-व्यापारों में हस्तक्षेप न करने की नीति घोषित नहीं की तो मैं बारदोली में सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करूँगा।" लेकिन, 5 फरवरी 1922 को तत्कालीन संयुक्त प्रदेश के गोरखपुर जिलांतर्गत चौरी-चौरा नामक स्थान में ऐसी घटना हुई कि महात्माजी को असहयोग आंदोलन बंद कर देना पड़ा। चौरी-चौरा नामक स्थान की जनता ने आवेश में आकर थानेदार और कई सिपाहियों की हत्या कर दी और पुलिस स्टेशन जला दिया। इससे पूर्व भी मालाबार और बंबई में दंगे हो चुके थे। जब महात्माजी को यह समाचार मालूम हुआ तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि आंदोलन अपना अहिंसात्मक रूप खो रहा है और जनता में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक दोनों दृष्टियों से महात्माजी के विचारों से मेल नहीं रखता था। अतः महात्माजी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन बंद कर दिया और स्वयं प्रायश्चित के रूप में पाँच दिनों तक अनशन किया। महात्मा गांधी के आंदोलन स्थगित करने से बहुत-से नेता क्षुब्ध हो उठे

Scanned with CamScanner

गाँधीजी को 'एक नगर' के पाप के हेतु पूरे देश को दंड देने का दोषी ठहराया गया। बंगाल और महाराष्ट्र में गाँधीजी की तीव्र आलोचना की गई। सुभाषचन्द्र बोस ने भी कहा "जिस समय जनता का जोश सर्वोच्च शिखर पर था उस समय पीछे लौट आना राष्ट्रीय दुर्घटना से किसी प्रकार कम नहीं।" सरकार ने 1922 ई के 10 मार्च को महात्मा गाँधी को गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह के अपराध में उन्हें छह वर्ष की सजा दी गई। उन्हें यरवदा जेल में रखा गया।

असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन

— असहयोग आंदोलन के स्थगन से देश में निराशा का वातावरण छा गया। देश में दुःखद भावना की उत्पत्ति हुई। राजनीतिक संघर्ष में उभरती हुई हिंसा को अवरुद्ध तो किया गया, किंतु इस दबी हुई हिंसा ने निकलने का मार्ग खोज लिया और भविष्य में इसी के कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, "आंदोलन केवल चौरीचौरा के कारण स्थगित नहीं किया गया था, वरन् वास्तविकता यह थी कि यद्यपि बाहर से हमारा आंदोलन बड़ा शक्तिशाली दिखाई देता था और वह बड़ी प्रगति कर रहा था, तथापि अंदर से वह छिन्न-भिन्न हो रहा था।" आंदोलन वस्तुतः इसलिए स्थगित किया गया था कि नेताओं के बंदी किए जाने से योग्य नेतृत्व का अंत हो गया था और जनता में प्रतिशोध की भावना बलवती हो गई थी। चूँकि बीच में ही आंदोलन स्थगित कर दिया गया, इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि वह पूर्णतः असफल रहा। परंतु यह धारणा भ्रामक है। सुभाषचंद्र बोस के शब्दों में, "1921 ई० के वर्ष ने देश को निःसंदेह एक सुव्यवस्थित पार्टी-संगठन प्रदान किया। इससे पूर्व कांग्रेस एक वैधानिक दल था और वह मुख्यतः बात करनेवाली एक संस्था थी। महात्मा गाँधी ने इसे नया विधान ही नहीं दिया, अपितु इसे एक क्रांतिकारी संगठन में परिवर्तित कर दिया। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक एक जैसे नारे लगाए जाने लगे और एक जैसी

Scanned with CamScanner

जैसे विचारधारा सर्वत्र दृष्टि-गोचर होने लगी। कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। खादी सारे कांग्रेसियों की नियमित पोशाक बन गई।" इस आंदोलन के और भी कुछ अच्छे परिणाम हुए, जैसे - पहले पहल कांग्रेस आंदोलन एक जन-आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ। गांधीजी ने हिन्दू एवं मुसलमानों से एकसाथ मिलकर काम करने की अपील की। गांधीजी ने इस आंदोलन में सत्य एवं अहिंसा पर बल दिया। इस आंदोलन के कारण अनेक राष्ट्रीय संस्थाएँ स्थापित हुईं, जैसे - गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया इत्यादि।